न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 042 सन 2019

अनवान :–

1. मुन्शीराम पुत्र बदुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नुराराम पुत्र बदुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. बिरो बाई पुत्री बदुराम पत्नि ताराचन्द जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. पारो बाई पुत्री बदुराम पत्नि सिंगाराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. हंसराज 5 धर्मपाल 6. विरोबाई 7. मलकीत कौर 8. पालोबाई 9. कृष्णा बाई पुत्र पुत्रीयान शालुराम जाति बाजीगर निवासी रामसर तहसील नोहर ।

10 जलोबाई 11 फोजीबाई 12 लालचन्द 13 गेजाराम 14 शेराराम 15 सितोबाई 16 परमजीत 17 कौशल्या 18 देशराज 19 मखनसिह पुत्र पुत्रिया महेन्द्रसिह जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

20 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21.7.20

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 80/70 की कुल 4.8070हैक भूमि वादी के पिता के नाम दर्ज थी जिसमें से जरिये वसीयत इन्तकाल संख्या 621 दिनांक 07.06.2019 से कुल 1.265हैक भूमि नुराराम पुत्र बटूराम एवं 0.506हैक भूमि शालुराम पुत्र बटूराम के नाम दर्ज हुई शालुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके जाजय वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं 1.771हैक भूमि जलोबाई पत्नि महेन्द्रराम व1.265हैक भूमि बटु वल्द सुन्दर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है शेष भूमि रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 80/70 के प0न0 329/409(41) के किला न0 11 ,12/0.506 प0न0 328/409(42) के किला न0 13 ,14/0.506 15/0.228 मु0न0 66/10 की 0.025गै0मु0 रास्ता कुल 1.265हैक भूमि बटूराम पुत्र सुन्दर के नाम से दर्ज है जो वादी के हक हिस्सा की भूमि हैं

उक्त भूमि के सम्बध में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर से दिनांक 18.09.2006 को वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की गई थी वादी ने इसे खातेदारी आदेश मान कर पालना नही करवाई जिससे वाद भूमि वादी के नाम दर्ज नही हो सकी और बटूराम पुत्र सुन्दर के नाम से दर्ज रह गई जो आज भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो वादी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि जिसे वादी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादी की बहने है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 19 को अपने हक हिस्सा की भूमि पूर्व में प्राप्त हो चुकी है वाद भूमि में वादी के नाम दर्ज करने के सम्बध में सहमति

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

भी पेश की जा चुकी है इसप्रकार वाद भूमि वादी के नाम से दर्ज करने में प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 को किसी प्रकार का ऐतराज नही है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने निवेदन किया की वादभूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बटूराम पुत्र सुन्दर के नाम से दर्ज है जिसमें हम प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नही है वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ,3 जो वाद की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 19 का भी वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है वाद भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अपने कथनों के समर्थन में इकबाल जबाब जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जो शामिल मिसल है। एवं प्रतिवादी संख्या पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्यात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 80/70 के प0न0 329/409(41) के किला न0 11 ,12/0.506 प0न0 328/409(42) के किला न0 13 ,14/0.506 15/0.228 मु0न0 66/10 की 0.025गै0मु0 रास्ता कुल 1.265हैक भूमि बटूराम पुत्र सुन्दर के नाम से दर्ज है जो वादी के हक हिस्सा की भूमि है

उक्त भूमि के सम्बध में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर से दिनांक 18.09.2006 को वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की गई थी वादी ने इसे खातेदारी आदेश मान कर पालना नहीं करवाई जिससे वाद भूमि वादी के नाम दर्ज नही हो सकी और बटूराम पुत्र सुन्दर के नाम से दर्ज रह गई जो आज भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो वादी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि जिसे वादी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादी की बहने है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 19 को अपने हक हिस्सा की भूमि पूर्व में प्राप्त हो चुकी है वाद भूमि में वादी के नाम दर्ज करने के सम्बध में सहमति भी पेश की जा चुकी है इसप्रकार वाद भूमि वादी के नाम से दर्ज करने में प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 को किसी प्रकार का ऐतराज नही है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 80/70 के प0न0 329/409(41) के किला न0 11 ,12/0.506 प0न0 328/409(42) के किला न0 13 ,14/0.506 15/0.228 मु0न0 66/10 की 0.025गै0मु0 रास्ता कुल 1.265हैक्टेयर भूमि बदूराम पुत्र सुन्दर के नाम से दर्ज है

वादी का कथन है वाद भूमि के सम्बध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय से जारी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री को खातेदार आदेश मान कर पालना नही करवाई गई जिसके कारण वाद भूमि बदूराम पुत्र सुन्दर के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है बदूराम पुत्र सुन्दर के नाम से दर्ज अन्य भूमि उनके अन्य वारिसान के नाम से मुताबिक वसीयत दर्ज हो चुकी है केवल वादी के हक हिस्सा की भूमि सहवन से वादी के नाम दर्ज ना होकर उसके पिता मृतक बदूराम के नाम से दर्ज चली आ रही है जिसे वादी अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल जबाब पेश किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 2 , 3 जो वादी की बहने एवं बदूराम पुत्र सुन्दर की पुत्रीया है ने भी निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई वादी के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 80/70 के प0न0 329/409(41) के किला न0 11 ,12/0.506 ,प0न0 328/409(42) के किला न0 13 ,14/0.506हैक्टेयर 15/0.228हैक्टेयर मु0न0 66/10 की 0.025हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता कुल 1.265हैक्टेयर भूमि में बदूराम वादी के पिता का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न रू 5000/– का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.7.20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मुन्शीराम पुत्र बदुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 नुराराम पुत्र बदुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।

2. बिरो बाई पुत्री बदुराम पत्नि ताराचन्द जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

3. पारो बाई पुत्री बदुराम पत्नि सिंगाराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

4. हंसराज 5 धर्मपाल 6. विरोबाई 7. मलकीत कौर 8. पालोबाई 9. कृष्णा बाई पुत्र पुत्रीयान शालुराम जाति बाजीगर निवासी रामसर तहसील नोहर ।

10 जलोबाई 11 फोजीबाई 12 लालचन्द 13 गेजाराम 14 शेराराम 15 सितोबाई 16 परमजीत 17 कौशल्या 18 देशराज 19 मखनसिह पुत्र पुत्रिया महेन्द्रसिह जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

20 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 842 सन 2019 निर्णय दिनांक– 21·7·20

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 80/70 के प0न0 329/409(41) के किला न0 11 ,12/0.506 ,प0न0 328/409(42) के किला न0 13 ,14/0.506हैक 15/0.228हैक मु0न0 66/10 की 0.025हैक गै0मु0 रास्ता कुल 1.265हैक भूमि में बटूराम वादी के पिता का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न रू0 5000/– का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21·7·20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner